

कार्यालय जिला पंचायत, जिला— ग्वालियर

क्रमांक:/2010/ /जि.प./2010/

ग्वालियर, दिनांक/03/2010

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत संचालित

संभागीय हाट बाजार, ग्वालियर (फूलबाग बारादरी)

निविदा विज्ञप्ति

ग्वालियर भाहर के मध्य में स्थित ऐतिहासिक महत्व की "फूलबाग बारादरी" के प्राचीन स्वरूप को पुनर्जीवित कर इसे पर्यटन के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। इस स्थल पर जिला पंचायत ग्वालियर के द्वारा आयोजित किये जाने वाली संभागीय हाट के अंतर्गत प्रदेश एवं देश के स्वयं सहायता समूह एवं लोक कला हस्तशिल्प के हस्तनिर्मित उत्पाद विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे, साथ ही स्थल के मध्य में प्रवाहित नव निर्मित स्वर्ण-रेखा नदी में नौकायन सुविधा का लाभ सैलानी उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त आगामी एक-दो वर्षों में नगर निगम द्वारा निर्मित रोप-वे के निर्माण उपरांत इस स्थल से सैलानी ऐतिहासिक ग्वालियर दुर्ग का भ्रमण कर पर्यटन का आनंद भी उठा सकेंगे।

उपरोक्त संभागीय ग्रामीण हाट बाजार, फूलबाग बारादरी परिसर में दिनांक 01-04-2010 से 31-03-2011 तक की अवधि के लिये (कार्य संतोशप्रद होने पर दो वर्षों के लिये बढ़ाई जा सकेगी) जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 6 बड़े मेले एवं 6 छोटे मेले आयोजन किये जावेंगे। संभागीय हाट बाजार परिसर में नीचे दी गयी गतिविधि/विशयों की निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :-

- (1) होर्डिंग/यूनिपोल/ग्लोसाईन बोर्ड लगाकर विज्ञापन के अधिकार ।
- (2) फूड जोन मय खुला लॉन के साथ ।
- (3) आईस्क्रीम पार्लर/कॉफी भाँप/स्नेक्स कार्नर आदि की स्थापना ।
- (4) संभागीय ग्रामीण हाट बाजार, फूलबाग बारादरी परिसर का वार्षिक रख-रखाव ।

उपरोक्त व्यवस्था स्थापित करने हेतु संस्थाओं/फर्मों/ए-क्लास ठेकेदार, जिन्हें उक्त कार्य का अच्छा अनुभव हो, प्रमाण-पत्र के साथ निविदा दरें प्रस्तुत कर सकेंगे ।

निविदा प्रारूप, भातें इत्यादि जानकारी कार्यालय, जिला पंचायत, ग्वालियर के सूचना-पटल पर देखी जा सकती है । निविदा आवेदन-पत्र भुल्क 500/- (पाँच सौ रुपये) जमा कर प्राप्त किया जा सकता है । धरोहर राशि प्रति कार्य हेतु 1,00,000/- (एक लाख रुपये) नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर के पक्ष में देय हो, जमा करनी होगी । निविदा सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 12-04-2010 को समय दोपहर 4:00 तक जमा करायी जावेगी तथा 13-04-2010 को दोपहर 2:00 बजे निविदा समिति द्वारा निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी । कोई भी निविदा स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर को होगा, जिसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, ग्वालियर